फर्द अहकाम
(नियम 26)

**अज अदालत : सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर**
**जिला हनुमानगढ**

**रामप्रताप बनाम स्टेट**

किस्म मुकदमा : **136 LRA** प्रकरण संख्या 192/**2026**

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज | नम्बर व तारीख |
|---|---|---|
| 01.06.2026 | प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत पेश किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रार्थी को सुना गया।<br>प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थी रोही मौजा आपूवाला के खाता संख्या 69/67 में क्रम संख्या 03 पर दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम रामप्रताप पुत्र माहीराम दर्ज है। जो की सहवन से दर्ज हुआ है प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम रामप्रताप पुत्र माईराम है जो की प्रार्थी के दस्तावेजों यथा आधार कार्ड व जमाबंदी रोही मौजा लाखासर के खाता संख्या 258/248 में दर्ज है। राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत दर्ज होने से प्रार्थी के खातेदारी हकों का हनन हो रहा है इसलिए प्रार्थी राजस्व रिकॉर्ड मे अपना नाम रामप्रताप पुत्र माहीराम के स्थान पर रामप्रताप पुत्र माईराम दर्ज करवाना चाहता है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावें।<br>तहसीलदार नोहर, भू0अभि0 निरीक्षक एवं पटवारी की जांच रिपोर्ट के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम रामप्रताप पुत्र माहीराम के स्थान पर रामप्रताप पुत्र माईराम किया जाना उचित है की अनुशंषा की है।<br>हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम रामप्रताप पुत्र माहीराम दर्ज है एवं प्रार्थी के समस्त दस्तोवजों यथा आधार कार्ड व जमाबंदी रोही मौजा लाखासर के खाता संख्या 258/248 में प्रार्थी का नाम रामप्रताप पुत्र माईराम दर्ज है एवं तहसीलदार द्वारा भी प्रार्थी का नाम सही करने हेतु अनुशंषा की गई है प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।<br>प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो एवं तहसीलदार, भू0अभि0, पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा आपूवाला के खाता संख्या 69/67 में क्रम संख्या 03 पर दर्ज रामप्रताप पुत्र माहीराम के स्थान पर रामप्रताप पुत्र माईराम का संशोधन किया जाता है। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो प्रार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करने हेतु तहसीलदार नोहर को लिखा जाकर पत्रावली दाखिल दफ्तर हों।<br><br>उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)<br>नोहर (हनुमानगढ़)<br>Rahul | |